ग्राम पंचायत नेहरटी बघोट, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

भाग – एक

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: PCH-HC-(5)C(15)LAD/ 2006 -12669, दिनांक 07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत नेहरटी बघोट, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक का अंकेक्षण, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

प्रधान:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्रीमती रमा कुमारी	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्री रमेश चंद	01/04/2022 से 30/05/2022
2	श्री बलदेव सिंह	01/06/2022 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्री रमेश कुमार	01/04/2022 से 31/03/2023
2	श्री लव कुमार	01/04/2023 से 31/03/2024

ग्राम रोज़गार सेवक:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्री रणदीप सिंह	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत के लेखाओं अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1	रोकड़ बही व बैंक में भारी अंतर	4.2	4.55
2	अनुदान उपयोग हेतु शेष	6.1	21.16
3	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	7.1	0.49
4	समायोजन प्रविष्टि से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	8.1	6.83
5	पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना अनियमित भुगतान	8.2	4.77
6	निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना व्यय	8.3	0.54
7	संविदाकर के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर टी०डी०एस की कटौती न करना	8.4	0.07
8	संविदाकर के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी०एस०टी टी०डी०एस की कटौती न करना	8.5	0.04
9	निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	9.1	13.84
10	फॉर्म 'X' या 'Y' प्रस्तुत किए बिना निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर ठेकेदारों को भुगतान	9.3	1.35
11	आपूर्तिकर्ता के बिलों से वाईडस् (Voids) की कटौती न करनाः	9.4	0.07

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई के अवलोकन उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न तालिका में वर्णित है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/20 से 03/21:-

क्रम	पैरा संख्या	नवीनतम स्थिति	विवरण
1	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ₹7200 की प्राप्ति की पुष्टि मांग एवं संग्रहण रजिस्टर के पृष्ठ 59 पर करने के उपरान्त
2	4.1 से 4.2	निर्णित	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं।
3	4.3	अनिर्णीत	
	4.4	अनिर्णीत	

4	5	अनिर्णीत	
5	6	निर्णित	ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन रोकड़ बही के संधारण उपरांत।
6	7	निर्णित	ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन रोकड़ बही के संधारण उपरांत।
7	8	निर्णित	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
8	9	निर्णित	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
9	10	अनिर्णीत	
10	11	निर्णित	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
11	12	निर्णित	अपेक्षित नियमानुसार करवाई उपरांत।
12	13	निर्णित	अपेक्षित नियमानुसार करवाई उपरांत।
13	14	निर्णित	अपेक्षित नियमानुसार करवाई उपरांत।

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत नेहरटी बघोट, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री तरूण सैनी, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 23/01/2025 से 30/01/2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में निष्पादित किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वतः स्त्रोतों से आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वर्ष	आय	व्यय
2022-23	05/22	02/23
2023-24	-	05/23

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना के गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति

में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा।"

3 अंकेक्षण शुल्क -:

ग्राम पंचायत नेहरटी बघोट, विकास खण्ड राजगढ़, जिला-सिरमौर के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क (14 वां वित्त आयोग तथा 15 वां वित्त आयोग योजनाओं के ऑनलाइन अंकेक्षण शुल्क सहित) **₹4800** आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 172 दिनांक 30-01-2025 द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, कसुम्पटी शिमला-171009 को यथाशीघ्र प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

4.1 सचिव, ग्राम पंचायत नेहरटी बघोट द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक की समेकित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-1 व 2** पर भी दिया गया है:-

वर्ष	योजना	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
2022-23	**सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General)**	729339.47	178437	46382	954158.47	461718.7	492439.77
	अन्य अनुदान	862233	3215060	0	4077293	2841938	1235355
	कुल	**1591572.47**	**3393497**	**46382**	**5031451.47**	**3303656.7**	**1727794.77**
2023-24	**सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General)**	492439.77	75237	40970	608646.77	117175.4	491471.37
	अन्य अनुदान	1235355.00	5569629.00	0.00	6804984.00	4688563.00	2116421.00
	कुल	**1727794.77**	**5644866**	**40970**	**7413630.77**	**4805738.4**	**2607892.37**

वर्ष	योजना	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
2022-23	**14वां वित्त आयोग (14th FC)**	1043866.8	0	7088	**1050954.8**	903442.8	**147512**
	15वां वित्त आयोग (15th FC)	1034630	1043730	32707	**2111067**	741225.1	**1369841.9**
	कुल	**2078496.8**	**1043730**	**39795**	**3162021.8**	**1644667.9**	**1517353.9**

2023-24	**14वां वित्त आयोग (14th FC)**	147512	0	3310	**150822**	80000	**70822**
	15वां वित्त आयोग (15th FC)	1369841.9	1080547	0	**2450388.9**	282822	**2167566.9**
	कुल	**1517353.9**	**1080547**	**3310**	**2601210.9**	**362822**	**2238388.9**
नोटः- 14वें व 15वें वित्तायोग के अवधि 04/2023 से 04/2024 का अंकेक्षण ऑडिट आनलाईन पोर्टल (auditonline.gov.in) के माध्यम से किया जा चुका है एवं इस से सम्बन्धित अंकेक्षण आपत्तियाँ भी पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी हैं।							

विवरण	राशि (₹)
दिनांक 31.03.2024 को सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत तथा अन्य अनुदान की वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही अनुसार अंतशेष **(परिशिष्ट-3)**	**2607892.37**
दिनांक 31/03/2024 को सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत तथा अन्य अनुदान के बैंक खातों अनुसार अन्तशेष **(परिशिष्ट-3)**	**2162196.47**
दिनांक 31.03.2024 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर (₹2607892.37-₹2162196.47) **(परिशिष्ट-3)**	**445695.9**

4.2 ₹4.55 लाख की बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एंव 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी को तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु पंचायत के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31/03/2024 को ग्राम पंचायत में **परिशिष्ट-3** अनुसार रोकड़ बही व बैंक शेषों में निम्न विवरणानुसार **₹455225.90** के कुल अन्तर की बैंक समाधान विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की गई जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप किसी भी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकताः-

क्रम	योजना का नाम	अंतर की राशि (₹)
1	सम्मान निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)/5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)/आपदा राहत कोष (CRF)/विकास में जन सहयोग (VMJS)/विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)/सेक्ट्रोल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)/संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)/मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	163361.90
2	इंदिरा आवास योजना (IAY)	1216
3	राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	4765
4	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	21889
5	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)	107035
6	3 राज्य वित्त आयोग (3SFC)	156959
	कुल	**455225.90**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 171 दिनांक 30-01-2025 का कोई प्रतिउत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्राप्त नही हुआ। अतः उक्त भारी अन्तर की राशि की बैंक समाधान विवरणियाँ शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए । इसके अतिरिक्त यह गम्भीर मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु भी लाया जाता है।

4.3 ₹0.04 लाख हस्तगत राशि को बैंक में जमा न करवानाः-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 6(3) के प्रावधानानुसार पंचायत को सभी प्राप्तियों को पंचायत निधि खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान सामान्य निधि/स्व० स्त्रोत की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान **परिशिष्ट-2** अनुसार **₹3700** को निरन्तर हस्तगत रोकड दर्शाया जा रहा था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 171 दिनांक 30-01-2025 का कोई प्रतिउत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्राप्त नही हुआ। अतः इस राशि को शीघ्र बैंक में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 बंद योजनाओं में ₹1.95 लाख की शेष राशि का समाधान न करनाः- .

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न योजनाओ से सम्बन्धित रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31/03/2024 को **₹194610 (परिशिष्ट-3)** की शेष राशि दर्शाई गई थी जबकि यह योजना आधिकारिक रूप से बन्द हो चुकी थी । परिणामस्वरूप यह सुनिश्चित न हो सका कि पंचायत द्वारा इस योजना की राशि का उचित समाधान किया गया है अथवा नहीं।

क्रम	**योजना**	**दिनांक 31/03/2024 को रोकड़ बही अनुसार अंतशेष (₹)**
1	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	37651
2	तीसरा राज्य वित्त आयोग (3rd SFC)	156959
	कुल	**194610**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 171 दिनांक 30-01-2025 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त योजनाओं में पड़ी शेष राशियों का बैंक खातों से मिलान करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके उचित समाधान सुनिश्चित किया जाए व अपेक्षित अभिलेख सहित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.5 स्व: स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र बैंक खाते का संचालन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र बैंक खाता "क"(स्व: स्त्रोतों के लेन-देन हेतु)खोला जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत / सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है | अत: बैंक खाता "क" का स्वतंत्र संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में पृथक से दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 171 दिनांक 30-01-2025 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः नियमानुसार स्वः स्रोत के आय-व्यय हेतु स्वतन्त्र बैंक खाता 'क' खोला जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 सावधि जमा में निवेश न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार स्वः स्त्रोत निधि में अतिरिक्त राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाना अपेक्षित है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी। अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग- अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अपेक्षित कारवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6 अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹21.16 लाख उपयोग हेतु शेष

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-2** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.03.2024 को **₹2116421** की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न तालिका में भी दिया गया है। इस राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार फडिंग एजेन्सी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है:-

क्रम	**योजना**	**दिनांक 31/03/2024 को रोकड़ बही अनुसार अंत शेष (₹)**
1	5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	64529
2	विकास में जन सहयोग (VMJS)	91331
3	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	859708
4	सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	286284
5	आपदा राहत कोष (CRF)	325600
6	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	99000
7	मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	19900
8	इंदिरा आवास योजना (IAY)	2468
9	राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	65956
10	3 राज्य वित्त आयोग (3SFC)	156959
11	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	37651
12	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)	107035
	कुल	**2116421**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 171 दिनांक 30-01-2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित है। अतः जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्त हो चुकी है उनके सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा अवधि बढ़ौतरी की सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 प्राप्त सहायता अनुदान ₹54.30 लाख के स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक निम्न विवरणानुसार **₹5430191** की सहायता अनुदान राशि

प्राप्त हुई थी परन्तु इन अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित हैः-

क्रम	योजना	वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त राशि (₹)	वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त राशि (₹)	कुल (₹)
1	15वां वित्त आयोग (15th FC)	1043730	-	**1043730**
2	5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	297669	443989	**741658**
3	विकास में जन सहयोग (VMJS)	500000	592791	**1092791**
4	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	420000	910118	**1330118**
5	सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ेशन प्लान (SDP)	149000	286284	**435284**
6	आपदा राहत कोष (CRF)	0	540110	**540110**
7	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	0	99000	**99000**
8	मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	60000	87500	**147500**
	कुल	**2470399**	**2959792**	**5430191**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 171 दिनांक 30-01-2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को यह अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जोकि अनियमित है। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

6.3 अनुदान से ₹47.77 लाख के व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक निम्न विवरण अनुसार **₹4776940.9** की अनुदान राशि का व्यय किया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित किये जाने सम्बन्धित भी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि उक्त नियम 2002 के नियम 88 की अवहेलना है:-

क्रम	योजना	वर्ष 2022-23 के दौरान	वर्ष 2023-24 के दौरान	कुल (₹)

		व्यय राशि (₹)	व्यय राशि (₹)	
1	14वां वित्त आयोग (14th FC)	903442.8	-	903442.8
2	15वां वित्त आयोग (15th FC)	741225.1	-	741225.1
3	5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	233140	443989	**677129**
4	विकास में जन सहयोग (VMJS)	349745	651715	**1001460**
5	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	290662	257528	**548190**
6	सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	120000	136284	**256284**
7	आपदा राहत कोष (CRF)	0	402610	**402610**
8	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	0	99000	**99000**
9	मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	60000	87600	**147600**
	कुल	**2698214.9**	**2078726**	**4776940.9**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 171 दिनांक 30-01-2025 जारी करके आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7 पंचायत राजस्व/स्वः स्त्रोत

7.1 गृहकर राजस्व ₹0.49 लाख वसूली हेतु शेष:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को कोई भी देय राशि पर्याप्त कारणों के बिना बकाया नहीं रखी जा सकती। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों व **परिशिष्ट-4** के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31-03-2024 तक पंचायत की गृहकर राजस्व राशि **₹48950** वसूली हेतु शेष थी। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 171 दिनांक 30-01-2025 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए राशि की वसूली शीघ्र सुनिष्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 भू-राजस्व के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत को राजस्व की अनुवर्ती हानिः-

प्रधान सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या रेव-डी-एफ (II)-11/2010 दिनांक 29.11.2011 के माध्यम से भू-राजस्व की मांग, संग्रहण और अभिलेख संधारण की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। इसके अनुसार, पटवारी को अपने क्षेत्र की सभी राजस्व संपत्तियों की ढाल बछ (राजस्व आकलन सूची) तैयार कर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव/सहायक को सौंपना होता है। इसके बाद, ग्राम पंचायत सचिव/सहायक को लम्बरदार या किसी उपयुक्त एजेंसी के माध्यम से भू-राजस्व की वसूली सुनिश्चित करनी होती है। इसके अलावा, उन्हें वार्षिक मांग, संग्रहण, बकाया राशि और अग्रिम भुगतान से संबंधित अभिलेख संधारित करने होते हैं, जो लेखा परीक्षा के अंतर्गत आते हैं।अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पटवार वृत्त द्वारा तैयार की गई ढाल बछ सूची ग्राम पंचायत को प्रदान नहीं की गई, जिसके कारण भू-राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि अधिसूचना में उल्लिखित भू-राजस्व मांग, संग्रहण और अभिलेख संधारण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था, जो नियमों का उल्लंघन है। इस कारण यह निर्धारित करना संभव नहीं हो सका कि पंचायत को कितना भू-राजस्व प्राप्त होना था और कितना बकाया रह गया, जिसकी वसूली भविष्य में लम्बरदार या अन्य एजेंसी के माध्यम से की जा सकती थी। इस लापरवाही के कारण पंचायत को आर्थिक नुकसान हुआ, और आवश्यक अभिलेख भी तैयार नहीं किए गए, जिससे उनकी लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 171 दिनांक 30-01-2025 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है। अतः उपरोक्त राजस्व राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में राशि की वसूली शीघ्र सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 व्यय

8.1 ₹6.83 लाख की समायोजन प्रविष्टि से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 (1) में पंचायत द्वारा भुगतान करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या FFC/2022- 23/P/5 दिनांक 01/03/2023 द्वारा 14वां वित्त आयोग की रोकड़ बही में **₹682607.80** समायोजन प्रविष्टि की गई थी। इस समायोजन प्रविष्टि का व्यय पक्ष में होने का अर्थ है कि यह प्रविष्टि किसी ऐसे भुगतान/भुगतानों के स्थान पर की गई प्रतीत होती है जिसकी प्रविष्टि रोकड बही में नहीं की गई थी। इस सम्बन्ध

में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 171 दिनांक 30-01-2025 द्वारा सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया जिसे अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अपेक्षित सम्पूर्ण अभिलेख अंकेक्षण में शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ छानबीन उपरान्त उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

8.2 पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना ₹4.77 लाख का अनियमित भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49 के अनुसार किसी भी प्रकार का भुगतान पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना नहीं किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी क्योंकि **परिशिष्ट-5 (क्रम 4 से 28)** पर वर्णित विवरण अनुसार **₹477476** के व्यय वाउचर पर प्रधान व सचिव द्वारा पारित आदेश (पे आर्डर) अंकित नही किए गए थे जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 171 दिनांक 30-01-2025 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः पंचायत अपने स्तर पर छानबीन उपरान्त उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट करे तथा उचित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करे।

8.3 निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.54 लाख का अनियमित व्यय:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) से (5) में स्टॉक/स्टोर को क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं जिसमें ₹1000 से अधिक के क्रय हेतु निविदाएं तथा ₹50000 से अधिक के लिए टेंडर आमन्त्रित किये जाने अपेक्षित हैं। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका अनुसार **₹54250** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि अनियमित तथा आपत्तिजनक है क्योंकि क्रय में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ न उठाकर पंचायत निधि का उचित प्रयोग नहीं किया गया।

क्रम	**योजना**	**वाउचर संख्या**	**वाउचर / भुगतान तिथि**	**कार्य का नाम**	**आपूर्तिकर्ता**	**सामग्री**	**बिल राशि (₹)**

1	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/3	14-02-2023	नि० रबर पाइपलाइन उलख	शिव हार्डवेयर स्टोर	किसान ट्यूब-403.33 कि०ग्रा०	30250
2	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/2	17-05-2023	नि० चबूतरा पडिया	श्री सोम दत्त	पत्थर-12 क्यु०मी	24000
				कुल			**54250**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 171 दिनांक 30-01-2025 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त वर्णित अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में नियमानुसार ही क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।

8.4 संविदाकार के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर ₹0.07 लाख जी०एस०टी, टी०डी०एस की कटौती न करना :-

जी०एस०टी अधिनियम, 2017 की धारा 51 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/ फर्म/ संस्था/ स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Government deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति (Contractor) फर्म को सेवाएं एंव वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वितीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% की दर से जी०एस०टी, टी०डी०एस की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदकार को नगद अथवा बैक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है, जोकि नहीं की थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न सेवाओं व वस्तु हेतु सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदकार से अपेक्षित जी०एस०टी, टी०डी०एस कटौती राशि **₹6924** का विवरण **परिशिष्ट-6** पर दर्ज है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 171 दिनांक 30-01-2025 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः जी०एस०टी टी०डी०एस कटौती/वसूली न करने का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.5 संविदाकार के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर ₹0.04 लाख आयकर की कटौती न करना :-

आयकर अधिनियम की धारा '194 सी' के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Government deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति (Contractor) फर्म को सेवाएं प्रदान करने के बदले एक बार/एकमुश्त ₹30000 से अधिक व एक वितीय वर्ष में ₹100000 से अधिक राशि के भुगतान पर न व्यक्ति व एचयूएफ (Person/HUF) से 1% की दर से तथा अन्य (Other than Person or HUF) से 2% की दर से आयकर की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है, जोकि नहीं की गई प्रतीत होती है। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न सेवाओं हेतु सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदकार से अपेक्षित टी०डी०एस कटौती राशि **₹3762** का विवरण **परिशिष्ट-6** पर दर्ज है।इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 171 दिनांक 30-01-2025 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है। अतः आयकर टी०डी०एस कटौती/वसूली न करने का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 निर्माण कार्यः-

9.1 ₹13.84 लाख के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार होगा। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट-7** पर दर्ज निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु **₹1384232** के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप इन भुगतानों की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं हो सकी। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 171 दिनांक 30-01-2025 जारी करके सचिव ग्राम पंचायत को बार-बार अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया जिसे अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित है। अतः अंकेक्षण के दौरान अभिलेखों को प्रस्तुत न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इन्हें शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 ₹6.12 लाख के निर्माण कार्यों में भुगतान कार्य समिति/निगरानी समिति की सत्यापना बिना करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 23 के अन्तर्गत कार्य समिति/निगरानी समिति का गठन अनिवार्य है जिसकी निगरानी में पंचायत के समस्त विकास कार्य निष्पादित किए जाने अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया की **परिशिष्ट-5** पर दर्ज विवरण अनुसार निर्माण कार्यों में **₹612060** का भुगतान कार्य समिति/निगरानी समिति/मेट की सत्यापना बिना ही किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 167 दिनांक 22-01-2025 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः भविष्य में निर्माण कार्यों हेतु भुगतान कार्य समिति/निगरानी समिति/मेट की सत्यापना उपरांत ही किये जाने सुनिश्चित किये जायें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 फॉर्म 'X' या 'Y' प्रस्तुत किए बिना निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर ठेकेदारों को ₹1.35 लाख का भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन.-(आर.डी. एवं पी.आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30, दिनांक 2.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर कुल सामग्री की मात्रा से सम्बंधित ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **परिशिष्ट- 8** में दर्ज विवरण अनुसार **₹135200** का अनियमित भुगतान किया गया। इस से यह प्रतीत होता है कि या तो निर्माण सामग्री की पूरी मात्रा में आपूर्ति नहीं की गई थी या भुगतान प्राप्त मात्रा से अधिक के लिए किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 171 दिनांक 30-01-2025 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक

है। अतः उक्त भुगतान को पूर्ण अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.4 आपूर्तिकर्ता के बिलों से 0.07 लाख के वाईडस् (Voids) की कटौती न करनाः-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु क्रय की गई सामग्री पर निर्धारित दर से वाइड्स (Voids) की कटौती नहीं की गई जबकि हि०प्र० पब्लिक वर्क्स स्पेसिफिकेशन 2.1.2.13 के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम0एम0 से लेकर 20 एम0एम0 तक 5% व 25 एम0एम0 से लेकर 40 एम0एम0 तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम0एम0 से लेकर 75 एम0एम0 तक 12.5% की दर से वाइड्स (Voids) की कटौती की जानी अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा क्रय सामग्री पर इस प्रकार की कोई भी कटौती नहीं की गई थी, जिस कारण आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/फर्म/संविदाकार को **परिशिष्ट- 9** में दर्ज विवरण अनुसार **₹6560** अधिक भुगतान किया गया है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 171 दिनांक 30-01-2025 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः वॉइड (Voids) की कटौती न करने को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाये एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 अभिलेख का अनुरक्षण न करना

10.1 ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत न करनाः-

ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पत्तियों को दर्शाया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में पंचायत द्वारा अर्जित/निर्मित सम्पत्तियों के ईन्द्राज से सम्बन्धित विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 171 दिनांक 30-01-2025 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त पोर्टल पर में पंचायत की चल-अचल सम्पति का ईन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.2 विहित रजिस्टर/अभिलेख को प्रस्तुत न करनाः-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 171 दिनांक 30-01-2025 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002			
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	5	15(1)
3	वर्गीकृत सार	8	29(4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	बजट प्राक्कलन	11	37
6	बिल रजिस्टर	13	48
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	खाता बही	29	7
9	तकनीकी जाँच व तकनीकी स्वीकृति ऐस्टीमेट रजिस्टर	31	95 (1)
10	दुकान किराया व गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर	33	10
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर	2	34
2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल सम्पत्ति रजिस्टर	11	34

11 **लघु आपति विवरणिका**:-लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया है।

12 **निष्कर्ष**:- ग्राम पंचायत के लेखों के रख-रखाव में उक्त अनुच्छेदों/पैरों मे वर्णित आपत्तियों के अनुसार सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

16 MAY 2025

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/प्रति

2836 – 2840

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(10) 59/2021 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत नैहरटी बघोट, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

16 MAY 2025

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/प्रति

परिशिष्ट – 1
पैरा संख्या 4.1, 6.2 व 6.3 में संदर्भित

ग्राम पंचायत नेहरटी बघोट, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2022-23 व 2023-24 की समेकित वित्तीय स्थिति

वर्ष	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंतशेष (₹)
2022-23	3670069.27	4437227	86177	**8193473.27**	4948324.6	**3245148.67**
2023-24	3245148.67	6725413	44280	**10014841.67**	5168560.4	**4846281.27**

ग्राम पंचायत नेहरटी बघोट, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2022-23 की योजनावार वित्तीय स्थिति

योजना	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंतशेष (₹)
सम्मान निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	729339.47	178437	46382	**954158.47**	461718.7	**492439.77**
14वां वित्त आयोग (14th FC)	1043866.8	0	7088	**1050954.8**	903442.8	**147512**
15वां वित्त आयोग (15th FC)	1034630	1043730	32707	**2111067**	741225.1	**1369841.9**
5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	0	297669	0	**297669**	233140	**64529**
विकास में जन सहयोग (VMJS)	0	500000	0	**500000**	349745	**150255**
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	77780	420000	0	**497780**	290662	**207118**
सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	107284	149000	0	**256284**	120000	**136284**
आपदा राहत कोष (CRF)	188100	0	0	**188100**	0	**188100**
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	99000	0	0	**99000**	0	**99000**
मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	20000	60000	0	**80000**	60000	**20000**
इंदिरा आवास योजना (IAY)	2468	0	0	**2468**	0	**2468**
राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	65956	0	0	**65956**	0	**65956**
3 राज्य वित्त आयोग (3SFC)	156959	0	0	**156959**	0	**156959**
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	37651	0	0	**37651**	0	**37651**
एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)	107035	0	0	**107035**	0	**107035**
मनरेगा	0	1788391	0	**1788391**	1788391	**0**
कुल	**3670069.27**	**4437227**	**86177**	**8193473.27**	**4948324.6**	**3245148.67**

सचिव
ग्राम पंचायत नेहरटी – भगोट
खं० एवं विकास खण्ड राजगढ़, सिरमौर (हि०

परिशिष्ट - '2'
पैरा संख्या 4.1, 6.1, 6.2 व 6.3 में
संदर्भित

ग्राम पंचायत नेहरटी बघोट, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2023-24 की योजनावार वित्तीय स्थिति

योजना	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंतशेष (₹)
सम्मान निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	492439.77	75237	40970	**608646.77**	117175.4	**491471.37**
14वां वित्त आयोग (14th FC)	147512	0	3310	**150822**	80000	**70822**
15वां वित्त आयोग (15th FC)	1369841.9	1080547	0	**2450388.9**	282822	**2167566.9**
5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	64529	443989	0	**508518**	443989	**64529**
विकास में जन सहयोग (VMJS)	150255	592791	0	**743046**	651715	**91331**
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	207118	910118	0	**1117236**	257528	**859708**
सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	136284	286284	0	**422568**	136284	**286284**
आपदा राहत कोष (CRF)	188100	540110	0	**728210**	402610	**325600**
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	99000	99000	0	**198000**	99000	**99000**
मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	20000	87500	0	**107500**	87600	**19900**
इंदिरा आवास योजना (IAY)	2468	0	0	**2468**	0	**2468**
राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	65956	0	0	**65956**	0	**65956**
3 राज्य वित्त आयोग (3SFC)	156959	0	0	**156959**	0	**156959**
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	37651	0	0	**37651**	0	**37651**
एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)	107035	0	0	**107035**	0	**107035**
मनरेगा	0	2609837	0	**2609837**	2609837	**0**
कुल	**3245148.67**	**6725413**	**44280**	**10014841.67**	**5168560.4**	**4846281.27**

दिनांक 01/04/2022 को रोकड़ बही अनुसार प्रारंभिक शेष का विवरण

हस्तगत रोकड़ (सामान्य निधि)	3700.00
रोकड़ बही अनुसार बैंक शेष	3666369.27
कुल	3670069.27

दिनांक 31/03/2024 को रोकड़ बही अनुसार अंत शेष का विवरण

हस्तगत रोकड़ (सामान्य निधि)	3700.00
रोकड़ बही अनुसार बैंक शेष	4842581.27
कुल	4846281.27

सचिव
ग्राम पंचायत नहेरटी-भगोट
खं० एवं विकास खण्ड राजगढ़, सिरमौर (हि०

परिशिष्ट - 3
पैरा संख्या 4.1, 4.2, व 4.4 से संबंधित

ग्राम पंचायत नेहरटी बघोट, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 31/03/2024 को रोकड बही व बैंक अनुसार अन्तर का विवरण

योजना	बैंक	खाता संख्या	रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31-03-2024 को अंतशेष (₹)	बैंक अनुसार दिनांक 31-03-2024 को अंतशेष (₹)	अंतर (₹)
सम्मान निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, राजगढ़	56310100114	491471.37	899245.27	
5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, शरगाँव	57410101874	64529	954987.6	
आपदा राहत कोष (CRF)	यूको बैंक, धामला	14350110063323	325600	220228.6	
विकास में जन सहयोग (VMJS)			91331		
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)			859708		
सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)			286284		
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)			99000		
मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)			19900		
	कुल		2237823.37	2074461.47	163361.9
14वां वित्त आयोग (14th FC)	एच०डी०एफ०सी बैंक, राजगढ़	50100052123490	70822	71970	-1148
15वां वित्त आयोग (15th FC)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, राजगढ़	56310124914	2167566.9	1859017.1	308549.8
इंदिरा आवास योजना (IAY)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, राजगढ़	56310100194	2468	1252	1216
राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, राजगढ़	56310112396	65956	70721	-4765
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, राजगढ़	56310113778	37651	15762	21889
एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)	बैंक खाता संख्या ज्ञात नहीं		107035	0	107035
3 राज्य वित्त आयोग (3SFC)	बैंक खाता संख्या ज्ञात नहीं		156959	0	156959
	महायोग		4846281.27	4093183.57	753097.7

सचिव
ग्राम पंचायत नहेरटी – भगोट
वह० एवं विकास खण्ड राजगढ़, सिरमौर (हि०

परिशिष्ट - 4
पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत नेहरटी बघोट, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

दिनांक 31/03/2024 को गृहकर वसूली सम्बन्धी सुचना:-

वर्ष 2022-23 के दौरान ग्राम पंचायत में परिवारों की संख्या- **327**

वर्ष 2022-23 के दौरान प्रति वर्ष गृहकर दर- **50 ₹/प्रति परिवार**

वर्ष 2023-24 के दौरान ग्राम पंचायत में परिवारों की संख्या- **342**

वर्ष 2023-24 के दौरान प्रति वर्ष गृहकर दर- **50 ₹/प्रति परिवार**

वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान मांग (₹)	कुल (₹)	प्राप्ति (₹)	अंत शेष (₹)
2022-23	15500	16350	**31850**	0	**31850**
2023-24	31850	17100	**48950**	0	**48950**

सचिव
ग्राम पंचायत नेहरटी-बघोट
तह० एवं विकास खण्ड राजगढ़, सिरमौर (हि०

ग्राम पंचायत में व्यय हेतु चयनित मास में मस्टरोल पर किये गए भुगतान का विवरण **परिशिष्ट-5**

"पैरा संख्या 8.2 व 9.2 में संदर्भित"

क्रम	योजना	वाउचर संख्या	वाउचर / भुगतान तिथि	कार्य का नाम	मस्टर रोल संख्या	दिनांक	बिल राशी (₹)
1	विकास में जन सहयोग (VMJS)	VMJS/2022-23/P/10	25-02-23	नि० सराय भवन उलख कटोगा	9609/2012	25-02-23	59170
2	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/1	15-05-23	नि० चबूतरा पगडिया	9647/2012	15-05-23	26250
3	विकास में जन सहयोग (VMJS)	VMJS2023-24/P/1	15-05-23	नि० सराय भवन उलख कटोगा	9646/2012	15-05-23	49164
4	मनरेगा		20-02-23	नि० गोशाला हेम सिंह पुत्र कुंदन सिंह	7315	20-02-23	19440
5	मनरेगा		20-02-23	नि० गोशाला जय बदुर पुत्र मंगल सिंह गांव शारद पजेवगा	7318	20-02-23	9540
6	मनरेगा		22-02-23	नि० गोशाला अंजना देवी पत्नी विनोद कुमार गांव शमोहन	7323	22-02-23	16800
7	मनरेगा		20-02-23	नि० गो शाला गोशाला अनोखी राम पाडिया	7327	20-02-23	22048
8	मनरेगा		20-02-23	नि० गो शाला गोशाला टिकमी राम विलेज पडिया	7329	20-02-23	10920
9	मनरेगा		20-02-23	नि० गोशाला गोशाला अमित कुमार विलेज शामोन	7328	20-02-23	19080
10	मनरेगा		20-02-23	नि० गो शाला सुरेंद्र पुत्र दीप राम जीपी नेहरटी बघोट	7344	20-02-23	9540
11	मनरेगा		21-02-23	नि० पौधारोपण कार्य यशपाल पुत्र श्री कपूर सिंह ग्राम सर्व वार्ड क्रमांक	7342	21-02-23	25440
	मनरेगा		21-02-23		7343	21-02-23	6360
12	मनरेगा		05-05-23	नि० एल/डी कार्य रेखा देवी पत्नी जोगिंदर सिंह गांव शाद पजेवगा एमएम1बीवाई	517	05-05-23	6720
	मनरेगा		05-05-23		517	05-05-23	4800
13	मनरेगा		05-05-23	नि० गोशाला चमन कुमार पुत्र राय सिंह गांव नेहरीटी बघोट	518	05-05-23	3300
14	मनरेगा		05-05-23	नि० गोशाला देवेन्द्र सिंह पुत्र बस्ती राम गांव नेहरटी बघोट	520	05-05-23	4928

	मनरेगा		05-05-23		520	05-05-23	15840
15	मनरेगा		05-05-23	नि० गोशाला गोशाला जय बदुर पुत्र मंगल सिंह गांव शारद पजेवगा	522	05-05-23	3360
	मनरेगा		05-05-23		522	05-05-23	28800
16	मनरेगा		05-05-23	नि० गो शाला गोशाला हेम राज	524	05-05-23	3360
	मनरेगा		05-05-23		524	05-05-23	18000
17	मनरेगा		05-05-23	नि० गोशाला गोशाला महिंदर सिंह पुत्र माथा राम गांव तीर गनोह	526	05-05-23	17280
18	मनरेगा		05-05-23	नि० गोशाला गोशाला रेखा कुमारी पत्नी संजय कुमार गांव सेरवा	528	05-05-23	13440
	मनरेगा		05-05-23		528	05-05-23	21600
19	मनरेगा		05-05-23	नि० गोशाला गोशाला अनु बाला पत्नी सुनील कुमार गांव सेरवा	530	05-05-23	3360
	मनरेगा		05-05-23		530	05-05-23	18000
20	मनरेगा		05-05-23	नि० गोशाला गोशाला दुर्गा देवी पत्नी धर्मेंद्र सिंह गांव सेरवा	533	05-05-23	21600
21	मनरेगा		05-05-23	नि० गो शाला गोशाला टिकमी राम विलेज पडिया	536	05-05-23	6720
	मनरेगा		05-05-23		536	05-05-23	21600
22	मनरेगा		05-05-23	नि० पौधारोपण कार्य यशपाल पुत्र श्री कपूर सिंह ग्राम सर्व वार्ड क्रमांक 4	538	05-05-23	2464
	मनरेगा		05-05-23		538	05-05-23	21120
23	मनरेगा		05-05-23	नि० गो शाला कोशल्या देवी ग्राम उलख कटोगा	539	05-05-23	3360
	मनरेगा		05-05-23		539	05-05-23	25200
24	मनरेगा		05-05-23	नि० गो शाला ओम सिंह पुत्र रूप राम गांव कटोगा	540	05-05-23	3360
	मनरेगा		05-05-23		540	05-05-23	25200
25	मनरेगा		05-05-23	नि० भूमि सुधार कार्य लायक राम पुत्र डेला राम	543	05-05-23	19200
26	मनरेगा		05-05-23	निर्माण जोहाद उल्ख	544	05-05-23	7392
27	मनरेगा		05-05-23		544	05-05-23	15840
28	मनरेगा		05-05-23		544	05-05-23	2464
			कुल				**612060**

Tarun Saini

(तरूण सैनी)

कनिष्ठ लेखा परीक्षक

राज्य लेखा परीक्षा विभाग

अंकेक्षण वृत सिरमौर

कैम्प- ग्रा०पं० नेहरटी बघोट

फोन-9736161012

24

23

परिशिष्ट-6

अंकेक्षण अवधि के दौरान अपेक्षित जी०एस०टी टी०डी०एस की गणना **"पैरा संख्या 8.4 में संदर्भित"**

क्रम	योजना	वाउचर संख्या	वाउचर तिथि	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशी (₹)	टी०डी०एस कटौती दर	अपेक्षित कटौती (₹)
1	सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	SDP/2022-23/P/1	13-02-2023	रि० लिंक मार्ग झिमिधर से उलख कटोगा	324	10-02-2023	श्री रणदीप सिंह वर्मा	जे०सी०बी कार्य-120 घंटे	120000	2%	2400
2	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/13	20-02-2023	नि० एम्बुलेंस मार्ग बघोट सर्वा वाया रगु का बाग	95	20-02-2023	श्री रणदीप सिंह वर्मा	जे०सी०बी कार्य-150 घंटे	150000	2%	3000
3	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/14	27-02-2023	नि० लिंक मार्ग का विस्तार झिमिधर से उलख कटोगा	83	20-02-2023	श्री रणदीप सिंह वर्मा	जे०सी०बी कार्य- 50 घंटे	50000	2%	1000
4	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/15	27-02-2023	नि० एम्बुलेंस मार्ग पजेवगा	84	21-02-2023	श्री रणदीप सिंह वर्मा	जे०सी०बी कार्य-26.1 घंटे	26222	2%	524
				कुल							**6924**

अंकेक्षण अवधि के दौरान अपेक्षित आयकर टी०डी०एस की गणना **"पैरा संख्या 8.5 में संदर्भित"**

क्रम	योजना	वाउचर संख्या	वाउचर तिथि	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशी (₹)	टी०डी०एस कटौती दर	अपेक्षित कटौती (₹)
1	सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	SDP/2022-23/P/1	13-02-2023	रि० लिंक मार्ग झिमिधर से उलख कटोगा	324	10-02-2023	श्री रणदीप सिंह वर्मा	जे०सी०बी कार्य-120 घंटे	120000	1%	1200
2	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/13	20-02-2023	नि० एम्बुलेंस मार्ग बघोट सर्वा वाया रगु का बाग	95	20-02-2023	श्री रणदीप सिंह वर्मा	जे०सी०बी कार्य-150 घंटे	150000	1%	1500
3	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/14	27-02-2023	नि० लिंक मार्ग का विस्तार झिमिधर से उलख कटोगा	83	20-02-2023	श्री रणदीप सिंह वर्मा	जे०सी०बी कार्य- 50 घंटे	50000	1%	500
4	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/15	27-02-2023	नि० एम्बुलेंस मार्ग पजेवगा	84	21-02-2023	श्री रणदीप सिंह वर्मा	जे०सी०बी कार्य-26.1 घंटे	26222	1%	262
5	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/3	23-05-2023	रि० लिंक मार्ग पडिया	325	20-05-2023	श्री रणदीप सिंह वर्मा	जे०सी०बी कार्य- 30 घंटे	30000	1%	300
				कुल							**3762**

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- ग्रा० पं० बेहरली बघोट
फोन-9736161012

निर्माण कार्यो से सम्बन्धी प्राक्कलन,माप पुस्तिकाएं, आदि प्रस्तुत किये बिना किये गए भुगतान का विवरण

परिशिष्ट-7

"पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित"

क्रम	योजना	वाउचर संख्या	वाउचर / भुगतान तिथि	कार्य का नाम	बिल संख्या/ मस्टर रोल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशी (₹)
1	सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	SDP/2022-23/P/1	13-02-2023	रि० लिंक मार्ग झिमिधर से उलख कटोगा	324	10-02-2023	श्री रणदीप सिंह वर्मा	जे०सी०बी कार्य- 120 घंटे	120000
2	विकास में जन सहयोग (VMJS)	VMJS/2022-23/P/9	13-02-2023	नि० सराय भवन उलख कटोगा	27	05-02-2023	प्रेम राज पबोल्टा ट्रांसपोर्ट कं०	रेत- 160 क्यु०फ़ी	12000
3	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/3	14-02-2023	नि० रबर पाइपलाइन उलख			शिव हार्डवेयर स्टोर	किसान ट्यूब- 403.33 कि०ग्रा०	30250
4	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/4	14-02-2023	नि० पेयजल पाइपलाइन कनोर खड्ड से काली माता मंदिर			हिमालयन पाइप इंडस्ट्रीज	एच०डी०पी०ई पाइप- 2425 मी	48500
5	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/5	14-02-2023				हिमालयन पाइप इंडस्ट्रीज	एच०डी०पी०ई पाइप- 1100 मी	30600
6	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/6	15-02-2023	नि० तार बाड़ जाली, राजकीय माध्यमिक विद्यालय नेहरटी बघोट	28	28-09-2023	शर्मा स्टील	एंगल- 588 कि०ग्रा०	50000
					29	28-09-2023	शर्मा स्टील	इंटरलॉक तार- 120 मी	50000
7	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/7	15-02-2023	नि० पक्की गली नाली तीर	24	05-02-2023	प्रेम राज पबोल्टा ट्रांसपोर्ट कं०	बजरी- 160 क्यु०फ़ी	12800
								रेत- 160 क्यु०फ़ी	12000
8	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/8	15-02-2023	रि० पक्की गली नाली बघोट	25	05-02-2023	प्रेम राज पबोल्टा ट्रांसपोर्ट कं०	बजरी- 160 क्यु०फ़ी	12800
								रेत- 160 क्यु०फ़ी	12000
9	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/8	15-02-2023	रि० पक्की गली नाली बघोट	62911	14-02-2023	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सीमेंट- 50 बैग	19250
10	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/9	15-02-2023	नि० पक्की गली नाली तीर	62912	14-02-2023	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सीमेंट- 30 बैग	11550
11	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/11 व 12	15-02-2023	नि० पक्की गली नाली तीर व नि० पक्की गली नाली तीर	13	16-02-2023	प्रेम राज पबोल्टा ट्रांसपोर्ट कं०	सामग्री ढुलाई	5200
12	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/13	20-02-2023	नि० एम्बुलेंस मार्ग बघोट सर्वा वाया रगु का बाग	95	20-02-2023	श्री रणदीप सिंह वर्मा	जे०सी०बी कार्य- 150 घंटे	150000
13	विकास में जन सहयोग (VMJS)	VMJS/2022-23/P/10	25-02-2023	नि० सराय भवन उलख कटोगा	9609/2012		मस्टररोल भुगतान		59170
14	विकास में जन सहयोग (VMJS)	VMJS/2022-23/P/11	25-02-2023	नि० सराय भवन उलख कटोगा	CS052-22-0271746	17-05-2023	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सीमेंट- 40 बैग	15400

26

15	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/14	27-02-2023	नि० लिंक मार्ग का विस्तार झिमिधर से उलख कटोगा	83	20-02-2023	श्री रणदीप सिंह वर्मा	जे०सी०बी कार्य- 50 घंटे	50000
16	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/15	27-02-2023	नि० एम्बुलेंस मार्ग पजेवगा	84	21-02-2023	श्री रणदीप सिंह वर्मा	जे०सी०बी कार्य- 26.1 घंटे	26222
17	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/1	15-05-2023	नि० चबूतरा पगडिया	9647/2012		मस्टररोल भुगतान		26250
18	विकास में जन सहयोग (VMJS)	VMJS2023-24/P/1	15-05-2023	नि० सराय भवन उलख कटोगा	9646/2012		मस्टररोल भुगतान		49164
19	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/2	17-05-2023	नि० चबूतरा पडिया	भुगतान सादी रसीद पर किया गया था		श्री सोम दत्त	पत्थर- 12 क्यु०मी	24000
20	विकास में जन सहयोग (VMJS)	VMJS2023-24/P/2	23-05-2023	नि० सराय भवन उलख कटोगा	29	20-05-2023	प्रेम राज पबोल्टा ट्रांसपोर्ट कं०	बजरी- 320 क्यु०फ़ी	25600
								रेत- 320 क्यु०फ़ी	24000
21	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/3	23-05-2023	रि० लिंक मार्ग पडिया	325	20-05-2023	श्री रणदीप सिंह वर्मा	जे०सी०बी कार्य- 30 घंटे	30000
22	मनरेगा			मनरेगा के अंतर्गत व्यय हेतु चयनित माह फरवरी-23 में मस्टर रोल पर किया गया भुगतान					139168
23	मनरेगा			मनरेगा के अंतर्गत व्यय हेतु चयनित माह मई-23 में मस्टर रोल पर किया गया भुगतान					338308
				कुल					**1384232**

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- ग्रा० प नेहरटी काघोट
फोन-9736161012

निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर ठेकेदारों को भुगतान का विवरण

परिशिष्ट-8

"पैरा संख्या 9.2 में संदर्भित"

क्रम	योजना	वाउचर संख्या	वाउचर / भुगतान तिथि	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशी (₹)
1	विकास में जन सहयोग (VMJS)	VMJS/2022-23/P/9	13-02-2023	नि० सराय भवन उलख कटोगा	27	05-02-2023	प्रेम राज पबोल्टा ट्रांसपोर्ट कं०	रेत- 160 क्यु०फ़ी	12000
2	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/7	15-02-2023	नि० पक्की गली नाली तीर	24	05-02-2023	प्रेम राज पबोल्टा ट्रांसपोर्ट कं०	बजरी- 160 क्यु०फ़ी	12800
								रेत- 160 क्यु०फ़ी	12000
3	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/8	15-02-2023	रि० पक्की गली नाली बघोट	25	05-02-2023	प्रेम राज पबोल्टा ट्रांसपोर्ट कं०	बजरी- 160 क्यु०फ़ी	12800
								रेत- 160 क्यु०फ़ी	12000
4	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/2	17-05-2023	नि० चबूतरा पडिया	भुगतान सादी रसीद पर किया गया था		श्री सोम दत्त	पत्थर- 12 क्यु०मी	24000
5	विकास में जन सहयोग (VMJS)	VMJS2023-24/P/2	23-05-2023	नि० सराय भवन उलख कटोगा	29	20-05-2023	प्रेम राज पबोल्टा ट्रांसपोर्ट कं०	बजरी- 320 क्यु०फ़ी	25600
								रेत- 320 क्यु०फ़ी	24000
				कुल					**135200**

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- ग्रा० पं० नेहरटी बघोट
फ़ोन-9736161012

28

वाइड्स (Voids) की अपेक्षित कटौती का विवरण

परिशिष्ट-9

"पैरा संख्या 9.4 में संदर्भित"

क्रम	योजना	वाउचर संख्या	वाउचर / भुगतान तिथि	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशी (₹)	अपेक्षित कटौती	कटौती राशी (₹)
1	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/7	15-02-2023	नि० पक्की गली नाली तीर	24	05-02-2023	प्रेम राज पबोल्टा ट्रांसपोर्ट कं०	बजरी-160 क्यु०फ़ी	12800	10.00%	1280
2	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/8	15-02-2023	रि० पक्की गली नाली बघोट	25	05-02-2023	प्रेम राज पबोल्टा ट्रांसपोर्ट कं०	बजरी-160 क्यु०फ़ी	12800	10.00%	1280
3	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/2	17-05-2023	नि० चबूतरा पडिया	भुगतान सादी रसीद पर किया गया था		श्री सोम दत्त	पत्थर-12 क्यु०मी	24000	12.50%	1600
4	विकास में जन सहयोग (VMJS)	VMJS2023-24/P/2	23-05-2023	नि० सराय भवन उलख कटोगा	29	20-05-2023	प्रेम राज पबोल्टा ट्रांसपोर्ट कं०	बजरी-320 क्यु०फ़ी	25600	10.00%	2400
				कुल							**6560**

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- ग्रा० पं० नेहरटी बघोट
फ़ोन-9736161012

28 29